न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 525/2011/223 (2011/00068)

1. भूरा पुत्र नाथू, जाति माली, निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 29.8.2011 अंतर्गत वाद संख्या 87/2004.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 4.2.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकडी के आदेश दिनांक 29.8.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 92—ए एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी ग्राम कस्बा केकड़ी के आराजी पुराना खसरा नंबर 5801 रकबा 9—03—00 नया नंबर 7480 रकबा 0.07 है0 नहरी प्रथम व पुराना खसरा नंबर 5772 रकबा 2—15—10 नया नंबर 7058 रकबा 1.42 चाही, खसरा नंबर 7658/857 रकबा 0.45 है0 नहरी भूमि अर्से दराज से वादी के पिता नाथू पुत्र हरदेव माली, निवासी केकड़ी के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है । वादी के अलावा अन्य व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी वादी के पिता के निधन के बाद वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर अतिक्रमी संवत् 2022 से निरन्तर चली आ रही है । प्रतिवादी वादी को उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है । वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.8.2011 द्वारा वादी का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.8.2011 विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड के होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी

बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट वादी आराजी मुतनाजा पर लगातार अपने पिता के जीवनकाल से बतौर कृषक काबिज चला आ रहा है व इसकी ताईद में वादी ने खसरा गिरदावरी की नकले प्रस्तुत की है व अपने बयान कराये है, जिनसे वादी अपीलांट का आराजी मुतनाजा पर लगातार कब्जा काश्त साबित था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादी का विवादित आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त न मानकर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट संवत् 2014 से 2017 की जमाबंदी में बतौर कृषक दर्ज है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संव् 2015 से 2016 व 2017 से 2020 में भी वादी के पिता नाथू का नाम बतौर कृषक दर्ज है । ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने की तिथि को अपीलांट को विवादित आराजी पर बतौर टिनेन्ट काबिज होने से धारा 15 व धारा 19–एए के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर आराजी मुतनाजा को नगर पालिका की सीमा में होना मानते हुए वाद निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी नहरी भूमि है जिस पर अपीलांट के पिता व अपीलांट के पिता की मृत्यु होने पर अपीलांट निरन्तर गत् 50 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज काश्त है । इस प्रकार विपरीत कब्जे के आधार पर भी अपीलांट को विवादित भूमि बाबत् खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक अंकित है । वादी/अपीलांट ने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणाा का अनुतोष चाहा है । नियमानुसार में पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है । यह भी कथन किया कि विवादित भूमि नगर पालिका केकड़ी की पैरा–फैरी में होने से आवंटन/नियमन नहीं की जा सकती है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित कर वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादी/अपीलांट का अपील में मुख्य कथन है कि विवादित आराजियात अर्से दराज से वादी के पिता नाथू पुत्र हरदेव माली, निवासी केकड़ी के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है । वादग्रस्त आराजी वादी के पिता के निधन के बाद वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर अतिक्रमी संवत् 2022 से निरन्तर चली आ रही है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने की तिथि को अपीलांट को विवादित आराजी पर बतौर टिनेन्ट काबिज होने से धारा 15 व धारा 19–एए के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है । वादी/अपीलांट को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने वादपत्र के कथनों से इंकार कर वाद निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु दो तनकियात कायम की है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत् 2058 में वादग्रस्त आराजियात सिवायचक दर्ज होकर किस्म चाही व नहरी प्रथम दर्ज है । इसी प्रकार खसरा गिरदावरी में भी विवादित आराजी की किस्म तालाबी,

आबी दर्ज है तथा नगर पालिका केकड़ी की सीमा में स्थित है । अपीलांट ने अपने कब्जे काश्त के संबंध में खसरा गिरदावरियां पेश की है जिसमें भी विवादित भूमि मृदा तालाबी व आबी दर्ज है । इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 में विवादित आराजियात तालाबी प्रथम एवं आबी–तृतीय दर्ज है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होकर नगर पालिका केकड़ी के पैरा–फैरी क्षेत्र में स्थित है तथा राजस्व रिकार्ड में किस्म आबी एवं तालाबी दर्ज है । अपीलांट/वादी ने एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा का अनुतोष चाहा है । कब्जे काश्त के आधार पर नियमों में खातेदारी की घोषणा किये जाने का प्रावधान नहीं होने से खातेदारी उद्घोषणा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना निरन्तर कब्जा काश्त होना भी साबित नहीं किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2016 से 2019 में विवादित आराजियात नाथू वल्द हरदेव माली साकिन देह मुद्दत 3 साल अंकित होकर विवादित आराजियात की किस्म तालाबी प्रथम एवं आबी–तृतीय अंकित है । इससे भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात अपीलांट के पिता नाथू पुत्र हरदेव को केवल मात्र 3 साल के लिए काश्त पर दी गई थी। नाथू पुत्र हरदेव की मृत्यु हो चुकी है तथा ऐसे अस्थाई आवंटन के आधार पर विरासतन खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है । विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में तालबी एवं आबी दर्ज होने से धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में होने से ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है। विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर तनकीवार निर्णय पारित कर वादी/अपीलांट का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.8.2011 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 4.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर